

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती बिन्दू बाला राजावत आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 101/2022
किस्म :- प्रार्थना-पत्र
दायर दिनांक : 13.09.2022

निर्णय दिनांक : 30.10.2025

—:अनवान:—

1. रतनलाल पिता लक्ष्मण जाति अहीर निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. नानी पत्नि शंकरगिरी जाति गुसाई निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
3. नारायणलाल पिता शंकरगिरी जाति गुसाई निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
4. मदनगर दत्तक पुत्र केशीगर जाति गोस्वामी निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
5. रतनलाल पिता शंकरगिरी जाति गुसाई निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

.....विपक्षीगण

वास्ते,

तहसीलदार रेलमगरा

जो कि मुल ही हुक्मनामा आपके पास भेजकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नम्बर 203 रकबा 0.0243 हेक्ठर भूमि ग्राम सकरावास पटवार हल्का सकरावास तहसील रेलमगरा आप मौके पर जाकर उभयापक्षकारन की उपस्थिति में यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो एवं मौके पर निर्माण नहीं हो तो राजस्व रेकार्ड खाता एवं नक्शा ट्रेस अनुसार विधिवत रूप से नपती कर पत्थरगढी के वक्त किसी के कब्जे में दखल नहीं करते हुये किसी प्रकार का कब्जा संपुर्ण नहीं किया जावे। फिस पत्थरगढी 1000/- रुपये अक्षरे. एक हजार रुपये प्रार्थी से वसुल कर राज कोष मे जमा करावे। बाद तामिल हुक्मनामा फसल कटाई के पश्चात् पत्थरगढी पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह हुक्मनामा आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
राजसमंद